

**परिवार कार्ड में सदस्यों की संख्या जोड़ने/घटाने के लिए आवेदन पत्र**  
**(गलत सूचना देना एव ऐसा साबित होना दण्डनीय अपराध है)**  
**“कृपया फार्म/आवेदन पत्र का प्रत्येक बिन्दु पूर्ण भरे”**

रजिस्ट्रेशन संख्या  
कार्ड संख्या

1. आवेदक का नाम पिता का नाम आयु
2. पूरा पता
3. मतदाता सूची संख्या कच्ची बस्ती सर्वे नम्बर
4. मुखिया का नाम, व्यवसाय और व्यवसायिक पता
5. निम्नांकित अतिरिक्त नाम अपने राशन कार्ड नम्बर जो दुकान नम्बर में  
रजिस्टर्ड है, मैं सम्मिलित करने के लिए आवेदन करता हूँ :-

क्र. सं.	नाम	आवेदक से सम्बन्ध	उम्र	पेशा	आने की तारीख	ठहरने की संभावित अवधि/कारण
1						
2						
3						
4						
5						

6. निम्नांकित नाम जो मेरे राशन कार्ड नम्बर दुकान नम्बर  
में रजिस्टर्ड है, मैं से कम करने के लिए आवेदन करता हूँ।

क्र. सं.	नाम	आवेदक से सम्बन्ध	उम्र	पेशा	कम कराने का कारण
1					
2					
3					
4					

7. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का कार्ड नहीं है और न मैंने अलग से उसमें से किसी की प्रार्थना की है और न क्रम संख्या 05 एवं 06 में दिखाये किसी व्यक्ति को किसी अन्य कार्ड में शामिल कराया हुआ है। ऊपर की गई घोषणा मेरी पूर्ण जानकारी व विश्वास से सही है।
8. इस प्रार्थना-पत्र में बताये गये तथ्यों के बारे में जाँच की जा सकती है। मैं जानता हूँ कि यह कार्ड सरकार की सम्पत्ति है और जब भी जिलाधीश/जिला रसद अधिकारी या अन्य अधिकृत व्यक्ति इसे प्रस्तुत करने को कहेंगे तब इसे मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

9. उपरोक्त क्रम संख्या 6 पर अंकित सदस्य का नाम निरस्त कर मुझे हेतु समर्पण प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

.स्थान

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

**फार्म 'अ' प्रतिपत्र**

श्री  
को प्राप्त हुआ।  
आवेदक दिनांक

का सदस्य बढ़ाने/सदस्य कम करने हेतु आवेदन-पत्र दिनांक  
को उपस्थित हो।

वास्ते जिला रसद अधिकारी

**प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री

पुत्र श्री

निवासी

ने राशन कार्ड में नाम

बढ़ाने/नाम कम करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें दिया गया विकल्प सही है व प्रमाण-पत्र देने से पूर्व  
मैंने इसकी सत्यता की जांच कर ली है। अतः उनकी उक्त प्रार्थना स्वीकार कर ली जाये।

हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य  
सदस्य विधानसभा/जिला प्रमुख/पार्षद

**भाग-2**  
**आदेश**

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण है। आवेदक के राशन कार्ड में यूनिट  
बढ़ाने/कम करने के आदेश दिये जाते हैं/नहीं दिये जाते हैं।  
प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का कारण अंकित किया जावें

हस्ताक्षर

प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक